न्यायालय : सिविल न्यायाधीश, जालोर (राजस्थान)

–

पीठासीन अधिकारी : पूर्णिमा यादव, "आर.जे.एस."

दीवानी मूल प्रकरण संख्या : 02/2018
(सी.आई.एस. रजिस्ट्रेशन संख्या : 02/2018)

––

गंगानाथ शिष्य श्री शांतिनाथजी, नाथ सम्प्रदाय, योगी, उम्र–73 वर्ष, महन्त भैरूनाथजी का अखाडा, तिलक द्वार, जालोर, तहसील व जिला जालोर (राज.)

––वादी

बनाम

हर आम व खास

––प्रतिवादी

:: वाद बाबत् घोषणा ::

उपस्थित :–

1. श्री दिलीप शर्मा अधिवक्ता, वादी की ओर से।
2. प्रतिवादी के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही।

:: निर्णय :: **दिनांक : 25–07–2019**

1. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य निम्न प्रकार से है कि वादी भैरूनाथजी अखाडा, जालोर का मठाधीश प्रबन्धक है वादी पीर महाराज स्वर्गीय श्री शांतिनाथजी शिष्य श्री केसरनाथजी निवासी सिरे मंदिर जालोर तहसील व जिला जालोर के शिष्य है, वर्तमान में श्री शांतिनाथ के स्वर्गवास के बाद गादीपति है, श्री शांतिनाथ जो कि मठ सिरे मंदिर, भैरूनाथजी अखाडा, चितहरणी जालोर व अन्य इनसे जुडे अन्य धार्मिक स्थान के मठाधीश (प्रबंधक) थे। श्री शांतिनाथजी ने वादी को गंगानाथ को धार्मिक व सामाजिक रिति–रिवाज के अनुसार शिष्य बनाया था। मृतक श्री शांतिनाथजी अविवाहीत थे, स्वर्गीय श्री शांतिनाथजी के माता–पिता की मृत्यु, श्री शांतिनाथजी के जीवनकाल में ही हो चुकी थी। वादी के अलावा स्वर्गीय श्री शांतिनाथ का अन्य कोई गादीपति नहीं है। वादी के स्वर्गीय श्री शांतिनाथजी का स्वर्गवास दिनांक 01.10.2012 को जीबीएच अमेरिकन इन्टरनेषनल अस्पताल उदयपुर में हो गया था, मृत्यु प्रमाण–पत्र संलग्न है। वादी स्वर्गीय श्री षांतिनाथ का गादीपति है तथा वर्तमान में मठ सिरे मंदिर, भैरूनाथ अखाडा, चितहरणी जालोर व अन्य इनसे जुडे धार्मिक स्थल के मठाधीश(प्रबंधक) है, वादी के अलावा स्वर्गीय श्री शांतिनाथजी का कोई गादीपति नहीं है। स्वर्गीय श्री शांतिनाथजी के बाद वादी ही कर्ताधर्ता है। वादी के गुरू के स्वर्गवास के बाद बतौर गादीपति वादी ही चल–अचल संपत्ति की देखरेख कर रहा है, वादी को आमजन ने स्वर्गीय श्री शांतिनाथजी के स्वर्गवास के बाद, मठ सिरे मंदिर, भैरूनाथजी अखाडा, चितहरणी जालोर व अन्य इनसे जुडे अन्य धार्मिक स्थल के मठाधीश (प्रबंधक) माना है। शिष्य होने के नाते हकदार भी है व संचालन के प्रयास किया है। वादी माननीय न्यायालय से घोषणा चाहता है कि वादी को मठ सिरे मंदिर, भैरूनाथजी अखाडा, चितहरणी, जालोर व अन्य इनसे जुडे धार्मिक स्थल के मठाधीश (प्रबंधक) से जुडी चल–अचल संपत्तियों का कर्ता–धर्ता घोषित किया जावें, इस हेतु वाद स्वीकार फरमाकर घोषणा की जावे कि वादी ही महाराज श्री शांतिनाथ के स्वर्गवास के बाद

मठ का संचालन करता है व मठ संबंधी अधिकार वादी में निहीत है, उक्त हेतु निर्णय पारित फरमावें। वादी को वाद कारण तब उत्पन्न हुआ, जब वादी को मठ की संपत्ति के संचालन से रोका गया। दिनांक 10.10.2017 को रोके जाने से, यह वाद अन्दर म्याद है, वाद कारण उत्पन्न होने से व संपत्ति माननीय अदालत के श्रवणाधिकार व क्षैत्राधिकार के भीतर होने से वाद माननीय के श्रवणाधिकार व क्षैत्राधिकार का है। वाद का विषय मुल्यांकन योग्य नहीं है, वाद घोषणा के लिये है इसलिये वाद का मूल्यांकन विषय आधार पर किया जाकर माफिक वाद घोषणा मूल्यांकन 400/–किया जाकर, वास्ते रूपये 25/– की कोर्ट फीस संलग्न है। अतः वादपत्र पेश कर निवेदन है कि वादी का वाद बाबत् घोषणा स्वीकार किया जाकर, माफिक वाद, वादी को मठ सिरे मंदिर, भैरूनाथजी अखाडा, चितहरणी जालोर व अन्य इनसे जुडे अन्य धार्मिक स्थल के मठाधीश (प्रबंधक) से जुडी चल–अचल संपत्तियों का कर्ता–धर्ता व संचालक बतौर गादीपति घोषित किया जावें। उक्त हेतु विधि सम्मत, न्यायोचित आदेश पारित फरमावें।

2. वादपत्र की सूचना प्रतिवादी के रूप में हर आम व खास को जरीये नोटिस **समाचार–पत्र के प्रकाशन** के माध्यम से दी गई परन्तु कोई उपस्थित नहीं हुआ जिस पर दिनांक 05.10.2018 को प्रतिवादी हर आम व खास के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

3. वादी ने एक पक्षीय साक्ष्य में पी.ड.1 गंगानाथ तथा पी.ड.2 नारायणसिंह, पी.ड.3 तखतसिंह के बयान लेखबद्ध करवाये एवं दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श पी–1 व 1ए वसीयत व उसकी फॉटोप्रति, प्रदर्श पी–2 व 2ए श्री शांतिनाथ का मृत्यु प्रमाण–पत्र व उसकी फॉटोप्रति, प्रदर्श पी–3 व 3ए श्री गंगानाथजी का राशन कार्ड व उसकी फॉटोप्रति, प्रदर्श पी–4 व 4ए श्री शांतिनाथजी का राशन कार्ड व उसकी फॉटोप्रति, प्रदर्श पी–5 व 5ए श्री गंगानाथजी का वोटर कार्ड व उसकी फॉटोप्रति, प्रदर्श पी–6 व 6ए श्री गंगानाथजी का आधार कार्ड व उसकी फोटोप्रति, प्रदर्श पी–7 अखबार छाया करवाया गया हर आम व खास बाबत् नोटिस, प्रदर्श पी–8 अखबार में नोटिस प्रकाशन करवाने का बिल प्रदर्शित करवायी गयी।

4. वादी के विद्वान अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई एवं पत्रावली का अवलोकन किया। इस मामले में न्यायालय के समक्ष निम्नलिखित बिन्दु विचारणीय हैः–

"आया वादी मठ सिरे मंदिर, भैरूनाथ अखाडा, चितहरणी जालोर व अन्य इनसे जुडे धार्मिक स्थल के मठाधीश (प्रबंधक)से जुडी अच–अचल संपत्तियों का कर्ता–धर्ता व गादीपति घोषित किये जाने का अधिकारी है ?"

5. उपरोक्त विचारणीय बिन्दु को साबित करने का भार वादी पर है। वादी ने इस संबंध में स्वयं को बतौर पी डब्ल्यू–1 परीक्षित करवाया तथा वादी गंगानाथ ने हस्तगत वाद भैरूनाथ अखाडा जालोर के मठाधीश (प्रबंधक) की हैसियत से पेश किया है तथा यह भी कथन किया है कि वादी स्वर्गीय श्री शांतिनाथ, शिष्य श्री केसरनाथ के शिष्य है। स्वर्गीय श्री शांतिनाथ जो मठ सिरे मंदिर, भैरूनाथ अखाडा, चितरहणी जालोर व अन्य इनसे जुडे धार्मिक स्थल के मठाधीश (प्रबंधक) थे, के बाद वादी गादीपति है। वादी ने स्वयं के साक्ष्य शपथ पत्र व वाद पत्र में सशपथ कथन किया है कि उन्हें धार्मिक एवं सामाजिक रीति रिवाज के अनुसार श्री शांतिनाथ ने शिष्य बनाया था। वादी ने पद सं. 3 में यह भी कथन किया है कि शिष्य होने के नाते वादी गादीपति बनने का हकदार है। वादी ने स्वयं

के साक्ष्य शपथ पत्र में वाद पत्र के तथ्यों की पुनरावृत्ति की है तथा स्वर्गीय श्री शांतिनाथ द्वारा लिखी गई वसीयत व उनका मृत्यु प्रमाण–पत्र व पहचान पत्र संबंधी दस्तावेज प्रदर्शित करवाये है।

6. इस संबंध में सर्वप्रथम वादी ने स्वर्गीय श्री शांतिनाथ द्वारा स्वयं को सामाजिक एवं धार्मिक रीति रिवाज अनुसार शिष्य बनाना बतलाया है जबकि वादी ने इस संबंध में किसी रीति रिवाज का स्पष्ट उल्लेख तथा किस दिनांक को उक्त रीति रिवाज किया गया था, का उल्लेख नहीं किया है। वादी ने स्वयं को स्वर्गीय श्री शांतिनाथ का शिष्य बतलाया है तथा उनकी वसीयत प्रदर्श–1 पेश की है जबकि पूरे वादपत्र व साक्ष्य शपथ पत्र में उक्त वसीयत का उल्लेख नहीं है तथा ना ही वसीयत के साक्ष्यों का उल्लेख है। ऐसे में वादी ने अभिवचनों व मुख्य परीक्षण से परे जाकर वसीयत प्रदर्शित करवायी है जो कि वादी के अनुसार उसका मूल आधार दस्तावेज है। वादी ने घोषणा की आवश्यकता तथा वादकारण उत्पन्न होना 10.10.2017 का बतलाया है जब वादी को मठ की संपत्ति के संचालन से रोका गया है। इस संबंध में वादी ने किसके द्वारा मठ की संपत्ति के संचालन से रोका गया, का उल्लेख नहीं किया है। जबकि वादी ने वादपत्र के पद सं. 03 में यह कथन किया है कि वादी को आमजन ने स्वर्गीय श्री शांतिनाथजी के बाद मठ सिरे मंदिर, भैरूनाथजी अखाडा, चितहरणी जालोर व अन्य इनसे जुडे धार्मिक स्थल के मठाधीश (प्रबंधक) माना है। ऐसे में वादी के कथन परस्पर विरोधाभाषी है तथा किस तरह वाद कारण उत्पन्न हुआ तथा घोषणा का वाद लाने की आवश्यकता पडी जाहिर नही होता है। वादी ने पद सं. 03 में स्वयं को स्वर्गीय श्री शांतिनाथ का शिष्य होने के नाते गादीपति घोषित करवाने का अधिकारी माना है। इस संबंध में वादी द्वारा प्रस्तुत स्वर्गीय श्री शांतिनाथ का राशन कार्ड प्रदर्श पी–4 के पुश्त पर दर्शित कर स्वयं को चेला बतलाया है। यदि शिष्य होने के नाते वादी स्वयं को गादीपति घोषित करवाने का अधिकारी है तो प्रदर्श पी–4 के पुश्त पर स्वर्गीय श्री शांतिनाथ के अलावा कुल 14 चेलों के नाम अंकित है। इसी क्रम में वादी द्वारा प्रस्तुत वसीयत प्रदर्श–1 में यह उल्लेखित है कि स्वर्गीय श्री शांतिनाथ ने 3 शिष्य दिक्षित किये जिनके नाम कमलनाथ, गंगानाथ व किशननाथ है। ऐसे में यह भी दर्शित नहीं हो पाता है कि वादी एकमात्र स्वर्गीय श्री शांतिनाथ का चेला/शिष्य हो तथा चेला/शिष्य होने के मात्र आधार पर गादीपति घोषित किया जावें। वादी ने स्वर्गीय श्री शांतिनाथ के प्रदर्श–1 वसीयत के हस्ताक्षर भी अन्य कोई हस्ताक्षर पेश कर प्रमाणित नहीं करवाये है। इसी क्रम में वादी ने मठ सिरे मंदिर, भैरूनाथजी अखाडा, चितहरणी जालोर व अन्य इनसे जुडे धार्मिक स्थल के मठाधीश (प्रबंधक) से जुडी चल–अचल संपत्तियों का कर्ता–धर्ता व संचालक बतौर गादीपति घोषित किये जाने का कथन किया है। परन्तु वादी ने उसके द्वारा प्रस्तुत आधार दस्तावेज वसीयत प्रदर्श–1 के अस्तीत्व का जिक्र वादपत्र अथवा साक्ष्य शपथ पत्र में नहीं किया है। फिर भी एकबार को यदि उक्त वसीयत की ईबारत का अवलोकन किया जाये तो वयीयत कर्ता श्री स्वर्गीय शांतिनाथ ने उक्त वसीयत में यह उल्लेख किया है कि वह इस मठ का मठाधीश (प्रबंधक) है। ''इस मठ की यह परंपरा है कि मठाधीश ही अपने उत्तराधिकारी की घोषणा करता है व मठाधीश के अधीन ही इस मठ की सारी व्यवस्थाएं, मंदिरों की पूजा व धर्मशाला का संचालन, मठ के अधीन कटाले के गॉव से उगाई कर, अनाज, दीवेल आदी लाना जो इस ग्रामीण क्षैत्र में परंपरा से बंधा हुआ है। जिससे इस मंदिर की व्यवस्था एवं खर्चा चलता है।'' वादी ने वादपत्र में मठ सिरे मंदिर, भैरूनाथजी अखाडा, चितहरणी जालोर व अन्य इनसे जुडे धार्मिक स्थल के मठाधीश (प्रबंधक) से जुडी चल–अचल संपत्तिों का कर्ता–धर्ता व संचालक हेतु कथन किया है परन्तु वादी का मूल आधार दस्तावेज प्रदर्श–1 में किसी किस्म की संपत्ति जरिये

वसीयत वादी ने निहित होने का उल्लेख नहीं किया है। इसी क्रम में वादी द्वारा पी डब्ल्यू–2 नारायणसिंह व पी डब्ल्यू–3 तखतसिंह को परीक्षित करवाया गया जिन्होंने वादी के साक्ष्य शपथ पत्र के तथ्यों की पूर्णतया ताईद की है। गवाह नारायणसिंह ने वसीयत प्रदर्श पी–1 में साख देने का कथन किया है। चूंकि वादी द्वारा प्रस्तुत आधार दस्तावेज वसीयत को वादपत्र के अभिवचन से परे जाकर साक्ष्य में पेश करना माना है। ऐसे में वादी व शेष दोनों गवाहों के इस बाबत् कथन माना जाने योग्य नहीं है।

7. ऐसे में उपरोक्त कथनानुसार वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र का वादकारण, जरिये वसीयत मठाधीश (प्रबंधक) घोषित किये जाने बाबत् कोई तथ्य पत्रावली पर स्पष्ट नहीं होने से उपरोक्त विचारणीय बिन्दु वादी स्वयं के पक्ष में साबित करने में असफल रहा है। अतः उक्त विचारणीय बिन्दु वादी के विरूद्ध तय किया जाता है।

8. अतः उपरोक्तानुसार वादी का वाद एकपक्षीय रूप में खारिज किये जाने योग्य पाया जाता है।

:: आदेश ::

9. वादी गंगानाथ शिष्य श्री शांतिनाथजी, नाथ सम्प्रदाय, योगी, महन्त भैरूनाथजी का अखाडा, तिलक द्वार, जालोर, तहसील व जिला जालोर (राज.)की ओर प्रतिवादी हर आम व खास के विरूद्ध प्रस्तुत वाद बाबत् घोषणा खारिज किया जाता है। खर्चा वादी स्वयं द्वारा वहन किया जायेगा। तद्नुसार डिक्री पृथक से बनाई जावे।

(पूर्णिमा यादव)
सिविल न्यायाधीश ,जालोर
(राजस्थान)

10. निर्णय आज दिनांक 25–07–2019 को विवृत्त न्यायालय में लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षरित एवं मुद्रांकित कर उद्घोषित किया गया।

(पूर्णिमा यादव)
सिविल न्यायाधीश ,जालोर
(राजस्थान)